



मधुबन
MADHUBAN
हरियाणा पुलिस अकादमी का मुख्यपत्र
A NEWS LETTER OF HARYANA POLICE ACADEMY
website : <http://www.hpa.haryanapolice.gov.in>



वर्ष 11 Volume II

अप्रैल-जून APRIL-JUNE 2018

अंक Issue XLI

दीक्षांत परेड समारोह रेकर्नट बैच नं. -84, 20 मई 2018



मुख्य अतिथि श्री मनोहर लाल माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को श्री बी.एस. संदू भापुसे डीजीपी हरियाणा द्वारा स्मृतिचिन्ह भेंट




श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा
इंडोर फायरिंग रेंज का उद्घाटन



श्री मनोहर लाल माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा मधुबन
परिसर में नवविकसित वाटिका 'मोक्ष' का लोकार्पण

पुलिस विभाग में होगा नई ऊर्जा का समावेश: सीएम हरियाणा

20 मई को मधुबन पुलिस परिसर के बच्चेर स्टेडियम में विशाल दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ जिसमें हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में परेड की स्लामी ली। इस दीक्षांत समारोह में रैकर्स्ट बैसिक कोर्स बैच संख्या 84 में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 4225 जवानों ने कर्तव्यनिष्ठा की शपथ ली, जवानों ने मार्च पास्ट तथा पीटी शो का प्रदर्शन किया। दीक्षांत परेड समारोह में प्रशिक्षु पीडीएसपी अशोक कुमार, जिन्होने अपना बैसिक प्रशिक्षण पूरा किया है, परेड कमांडर रहे। दीक्षांत परेड समारोह में मुख्यमंत्री ने जवानों जोश भरते हुए कहा कि यदि जवान नैतिकता, न्याय, निर्दरता और निपुणता के भाव लेकर सेवा करेंगे तो उनको भविष्य में कभी असफलता नहीं मिलेगी। पुलिस का कर्तव्य है कि वे संविधान के अनुसार समाज में एकता, अखंडता और संप्रभुता को कायम रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस की यह भर्ती पूर्ण रूप से मैरिट के आधार पर हुई है इससे पुलिस विभाग में नई ऊर्जा का समावेश होगा। पारदर्शी भर्ती से जरूरी शैक्षणिक योग्यता से भी अधिक पढ़े-लिखे जवानों को पुलिस सेवा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो जवान आगे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब विभाग से एनओसी नहीं लेनी होगी, उन्हें केवल विभाग को सूचना देनी होगी, विभाग से छुट्टी भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर नगरिक आगे बढ़े और उनको आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह में कर्तव्यनिष्ठा की जो शपथ ली है, उसका पालन करते हुए ईमानदारी से समाज की सेवा करें। ध्यान रखें कि उनकी भर्ती हरियाणा सरकार द्वारा पारदर्शिता और ईमानदारी से की गई है अतः वे भी अपना फर्ज इसी प्रकार से निभाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जवान को चाहिए कि वे राष्ट्र को अपना राष्ट्र समझें। उन्होंने दीक्षांत समारोह में सभी जवानों व उनके परिवारजनों को बधाई दी। प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए हरियाणा सशस्त्र पुलिस की चतुर्थ वाहिनी के सिपाही आशीष कुमार ने प्रथम, तृतीय वाहिनी के सिपाही बलवान सिंह ने द्वितीय तथा इसी वाहिनी के सिपाही नवीन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया जिनको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।



पुलिस का कर्तव्य है कि वे संविधान के अनुसार समाज में एकता, अखंडता और संप्रभुता को कायम रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस की यह भर्ती पूर्ण रूप से मैरिट के आधार पर हुई है इससे पुलिस विभाग में नई ऊर्जा का समावेश होगा। पारदर्शी भर्ती से जरूरी शैक्षणिक योग्यता से भी अधिक पढ़े-लिखे जवानों को पुलिस सेवा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो जवान आगे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब विभाग से एनओसी नहीं लेनी होगी, उन्हें केवल विभाग को सूचना देनी होगी, विभाग से छुट्टी भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर नगरिक आगे बढ़े और उनको आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह में कर्तव्यनिष्ठा की जो शपथ ली है, उसका पालन करते हुए ईमानदारी से समाज की सेवा करें। ध्यान रखें कि उनकी भर्ती हरियाणा सरकार द्वारा पारदर्शिता और ईमानदारी से की गई है अतः वे भी अपना फर्ज इसी प्रकार से निभाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जवान को चाहिए कि वे राष्ट्र को अपना राष्ट्र समझें। उन्होंने दीक्षांत समारोह में सभी जवानों व उनके परिवारजनों को बधाई दी। प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए हरियाणा सशस्त्र पुलिस की चतुर्थ वाहिनी के सिपाही आशीष कुमार ने प्रथम, तृतीय वाहिनी के सिपाही बलवान सिंह ने द्वितीय तथा इसी वाहिनी के सिपाही नवीन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया जिनको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।

हरियाणा के गृह सचिव श्री एस.एस. प्रसाद भाप्रसे ने कहा कि हरियाणा पुलिस के इतिहास में यह एक बड़ा मौका है, जहां एक साथ 4225 सिपाही प्रशिक्षण लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कानून व्यवस्था ठीक है, तो सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसे में गृह विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रयास है कि पुलिस के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आए और पुलिस को लोग अपना दोस्त समझें। इस दिशा में कई कारगर कदम उठाए गए हैं ताकि पुलिस की छावि में निखार आए और दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा में हाल ही में जो भर्ती हुई है, वे मेरिट के आधार पर हुई हैं और इस भर्ती के माध्यम से न केवल योग्य युवाओं को देश व समाज सेवा का मौका मिला है बल्कि पुलिस को भी उच्च शिक्षा प्राप्त सिपाह भिल है। उन्होंने खुशी जाहिर की कि उनके कार्यकाल में यह भर्ती हुई है।

पुलिस महानिदेशक श्री बी.एस. संधू भापुसे ने कहा कि 1990 के बाद ऐसा पहला ऐतिहासिक दिन है, जिसमें एक साथ 4225 जवानों का दीक्षांत समारोह हुआ हो। इससे पहले 3400 सिपाहियों ने प्रशिक्षण लिया था। मधुबन कॉम्पलेक्स देश का विख्यात ट्रेनिंग सेंटर है। इसमें देश और विदेश के करीब 2 लाख 50 हजार जवान प्रशिक्षण ले चुके हैं जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकार्ड है। इतना ही नहीं एडवोकेट व जज भी यहां प्रशिक्षण ले चुके हैं। इस भर्ती में 50 प्रतिशत लोग उच्च डिग्री प्राप्त हैं। हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग के माध्यम से प्रदेश के लोगों की सेवा कर रही है। डायल 100 प्रदेश के लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगा।

इस मौके पर मधुबन अकादमी के निदेशक श्री के.के. सिंधु भापुसे ने अतिथियों का स्वागत किया तथा स्मृति चिन्ह भेंट किये। इस अवसर पर असंध के विधायक श्री बख्शीश सिंह विक्र, घरोंडा के विधायक श्री हरविंद कल्याण, विधायक असंध को स्मृतिचिन्ह भेंट



आधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज का मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण

20 मई को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा अकादमी में नव विकसित आधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही अब अकादमी में राष्ट्रीय स्तर की उन्नत फायरिंग रेंज उपलब्ध हो गयी है। इस पर 7.05 करोड़ की लागत आयी है। इस फायरिंग रेंज में छोटे एवं मध्यम रेंज के शस्त्रों के फायरिंग की सुविधा है। पिस्टल से लेकर 7.62 केलीबर की एके 47 के फायर यहां किए जा सकते हैं। रेंज पर

सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है तथा सभी ओर विशेष प्रकार की बुलेट प्रूफ सीट लगाई गई है ताकि निशाने से भटकी गोली टकराकर वापस न आ सके। एक समय में यहां 20 जवान फायर प्रेक्टिस कर सकते हैं। फायर करने वाला अपने टारगेट को कुछ पल के लिए भी दिखाई देने पर भी उसे भेद (hit) कर सके इसके लिए reflex firing प्रणाली लगाई गई है। फायर करने वाला अपने स्थान पर ही खड़े-खड़े कम्प्यूटर तकनीक से टारगेट पर लगी अपनी गोली को देख सकता है जिससे वह अपने फायर में उसी समय सुधार करने में सक्षम रहता है। यह इंडोर फायरिंग रेंज हरियाणा पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन की देखरेख में ऐमट्रैक्स टेक्नोलॉजिस्ट, दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। इससे पूर्व इस तकनीक के फायरिंग रेंज की सुविधा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड व विशेष सुरक्षा दस्ता के पास उपलब्ध है। इसे आकार की दृष्टि से देश में राज्य पुलिस का सबसे बड़ा फायरिंग रेंज बताया जा रहा है। अकादमी में ही इंडोर फायरिंग रेंज की उपलब्धता से प्रशिक्षण के लिए और अधिक समय मिल सकेगा जिससे दक्षता में वृद्धि होगी।



इस अवसर पर श्री हरविंद्र कल्याण, चेयरमैन हैफेड व स्थानीय संघ भापुसे, डीजीपी हरियाणा; श्री एके ढुल भापुसे, अध्यक्ष हरियाणा पुलिस आवास निगम; श्री बीके सिन्हा भापुसे डीजी होमगार्ड; श्री केके सिंधु भापुसे, डीजी पुलिस परिसर मधुबन, श्री पीआर देव भापुसे, निदेशक हरियाणा राज्य सरकार व्यूरो; श्री पीके अग्रवाल भापुसे, एडीजीपी, अपराध; श्री सुधीर चौधरी भापुसे, एडीजीपी प्रशासन; श्री मोहम्मद अकील भापुसे, एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था; श्री देशराज सिंह भापुसे, एडीजीपी कम्युनिटी पुलिसिंग; श्री अनिल कुमार राव भापुसे, आईजी सीआईडी तथा हरियाणा पुलिस आवास निगम के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मधुबन दौरे के समय माननीय मुख्यमंत्री ने एससीआरबी मधुबन परिसर में नवविकसित ध्वनि एवं प्रकाश माध्यमों से सुसज्जित वाटिका 'मैक्स' का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों सहित हरियाणा के डीजीपी श्री बीएस संधू भापुसे, सीआईडी प्रमुख श्री अनिल राव भापुसे व एससीआरबी के आईजी श्री श्रीकांत जाधव उपस्थित रहे।



डॉ. आंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय सेमीनार का आयोजन

25 अप्रैल को डॉ. आंबेडकर जयंती मनाए जाने के क्रम में हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस अकादमी मधुबन में एक राज्य स्तरीय सेमीनार का आयोजन किया गया। 'नागरिक अधिकारों के संरक्षण, एसी/एसटी वर्ग के प्रति उत्पीड़न की रोकथाम' विषय को लेकर आयोजित इस सेमीनार में एसपी और डीएसपी रैंक के 50 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। सेमीनार का शुभारम्भ अकादमी के निदेशक श्री केके सिंधु भापुसे के



संबोधन के साथ हुआ। करनाल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री सुभाष यादव भापुसे इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित रहे।

श्री केके सिंधु ने डॉ. बीआर आंबेडकर को याद करते हुए कहा कि भारतरत्न डॉ. बीआर आंबेडकर का भारत के सविधान के निर्माण में और सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि समाज में आई कुरितियों को दूर करके सुधार करने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। कानून भी इसी मकसद से बनाए जाते हैं कि समाज में सुधार हो। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला से प्रतिभागियों को नागरिक अधिकारों के संरक्षण एवं अत्याचार की रोकथाम के संबन्ध में कानूनी प्रावधानों, न्यायालय के निर्णयों को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि समाज में किसी भी कानून का दुरुपयोग संभव है लेकिन कानून लागू करने वाली ऐंजेंसी के रूप में हमारा दायित्व हम कानून को उसकी मूल भावना के अनुरूप ही लागू करने का प्रयास करें। समाज में परिवर्तन धीरे-धीरे और जागरूकता से संभव हैं।

पुलिस महानिरीक्षक करनाल ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि सामाजिक प्रणाली और कानूनी प्रणाली में अंग्रेजों के समय से ही विरोधाभास रहा है। अब समय आ गया है कि पुलिस कानून पर अपना फोकस करे। इससे ही उन्हें किसी मामले में सही तरीके से कार्यवाही करने में सहायता प्राप्त होगी।



सेमीनार के आगमी सत्र में समाज सेविका ऐडवोकेट श्रीमती आभा सिंघल जोशी ने नागरिक अधिकार संरक्षण, अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रति अत्याचार निवारण संबन्धी पहलू पर जानकारी देते हुए कहा कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा लोकतंत्र के आधार सत्त्व हैं। इनका अभाव देखते हुए नागरिक अधिकारों के संरक्षण या अत्याचार निवारण जैसे कानून बनाने पड़े। हमें लोकतात्रिक मूल्यों को अपनाना ही होगा। सभ्य समाज में जाति, धर्म के नाम पर भेदभाव का कोई स्थान नहीं हैं।



'पुलिसकर्मियों की मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता' विषय पर अपने विचार रखते हुए अकादमी की पूर्व महानिरीक्षक डा. सुमन मंजरी ने कहा कि अपने आस-पास हो रहे परिवर्तनों को आत्मसात करने वाला ही आधुनिक है। वर्तमान में आए शोध ने यह साबित कर दिया है कि व्यक्ति किसी भी उम्र में अपने आप में परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने कहा व्यक्ति की मानसिकता का निर्माण उसके पूर्व के अनुभवों, उसे प्राप्त होने वाली सूचनाओं और उसके विश्वास पर निर्भर करता है। हमें मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए इन्हीं तीन बातों पर कार्य करना होगा।

करनाल के डीए श्री शशिकांत शर्मा ने सेमीनार में अनुसूचित जाति अत्याचार व नागरिक अधिकारों के संरक्षण संबंधी मामलों की तफ्तीश की बारिकियों से अवगत कराया। अकादमी के डीए श्री अशोक कुमार ने अनुसूचित जाति आयोग के कार्यप्रणाली के बारे में प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन किया।

हिमाचल प्रदेश के प्रशिक्षु डीएसपी बैच ने ली दीक्षांत शपथ

12 जून को हरियाणा पुलिस अकादमी में बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हिमाचल प्रदेश के प्रोबेशनर डीएसपी बैच संख्या 20 ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के उपरां दीक्षांत परेड कार्यक्रम में कर्तव्यनिष्ठा की शपथ ली। यह बैच 12 जून 2017 को आरम्भ हुआ था। पीडीएसपी प्रियांक गुसा, अनिल पटियाल, अनिल मेहता, रमाकांत वाले इस बैच की दीक्षांत परेड में पीडीएसपी अनिल पटियाल परेड कमांडर रहे। इस बैच ने अकादमी को एक समृद्धि चिन्ह भी भेंट किया।

इस अवसर पर उपस्थित श्री कृष्ण मुरारी पुलिस अधीक्षक अकादमी ने निदेशक श्री के सिंधु, डीजी मधुबन पुलिस परिसर की ओर से पास-आउट हो रहे प्रशिक्षु अधिकारियों एवं उनके परिवारजनों को बधाई दी।

इन प्रशिक्षु अधिकारियों को समार्ट पुलिस अवधारणा के तहत नागरिक हितैषी पुलिस अधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। कानून, न्यायालय के निर्णयों, साइबर अपराध, फोरेंसिक साईंस, समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता, शस्त्र प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास एवं नेतृत्व कौशल जैसे व्यवहारिक विषयों का प्रशिक्षण दिया गया है।



दिल्ली ज्यूडिशियल अधिकारियों के लिए पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

25 मई से 8 जून तक अकादमी में दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु 15 दिवसीय सघन पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय जस्टिस श्री राजन गुप्ता तथा समापन पंजाब व हरियाणा उच्च-न्यायालय के माननीय जस्टिस श्री जसवंत सिंह द्वारा किया गया। इसमें पंजाब न्यायिक सेवा के 1 अधिकारी सहित दिल्ली न्यायिक सेवा के 58 नवनियुक्त ज्यूडिशियल अधिकारियों ने भाग लिया जिनमें 26 महिला अधिकारी भी थीं।

जस्टिस गुप्ता ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि न्यायिक अधिकारी के रूप में हमें आम नागरिक के लिए न्याय प्रक्रिया को और अधिक सहज बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए ताकि कोई भी न्यायिक हस्तेक्षण के द्वारा अपने अधिकारों को आसानी से प्राप्त कर सके। न्याय के सहज और सरल तौर तरीकों से न्यायालयों के प्रति आमजन के विश्वास में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि एक सफल जज बनने के लिए कानूनी ज्ञान के साथ-साथ समाज की जमीनी हकीकत को समझना भी बहुत जरूरी है, यह सही निर्णय करने में सहायक होती है। आपकी समग्र समझ से अपराधी बच नहीं सकते।



8 जून को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय जस्टिस श्री जसवंत सिंह ने संबोधन में कहा कि एक न्यायिक अधिकारी को धैर्य के साथ सुनना, स्वतंत्र रूप से विचार करना तथा निष्पक्षता से निर्णय करना आना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि न्यायपालिका समाज का आइना होती है इसलिए एक जज का पेशेवर व सामाजिक जीवन उच्च मानकों वाला होना चाहिए। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को सुझाव देते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों के मामलों में संवेदनशीलता से कार्य करें। जीवन में सफलता और सम्मान बनाए रखने के लिए बहादुरी, विनम्रता और निःरता से कार्य करें। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मधुबन पुलिस अकादमी के प्रयास की प्रशंसा की।


कार्यक्रम में हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक व डीजी श्री केके सिंधु ने मुख्य अतिथि एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए मुख्य अतिथि के जीवन परिचय एवं कोई संबंधी जानकारी दी और कहा कि वर्ष 2007 से इस कार्यक्रम तक पंजाब व हरियाणा तथा दिल्ली के 454 न्यायिक अधिकारियों को पुलिस प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

कार्यक्रम के निदेशक व जिला न्यायवादी श्री शशिकांत शर्मा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का संयोजन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इन अधिकारियों को पुलिस संगठन व कार्यप्रणाली, साइबर अपराध, फोरेंसिक विज्ञान, अपराध न्याय व्यवस्था के सामने चुनौती, प्रत्यार्पण प्रक्रिया, बैंक फ्रॉड मामले, मानव तस्करी मामले, चिकित्सा न्याय विज्ञान, राजस्व अभिलेख, बाल यौनिक शोषण के मामले जैसे पेशेवर विषयों के साथ पेशेवर नैतिकता व शिष्टाचार आदि विषयों पर शैक्षणिक एवं व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई।

समापन अवसर पर हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री मनबीर सिंह भडाना, विशिष्ट अतिथि के रूप में और दिल्ली ज्यूडिशियल अकादमी के निदेशक श्री लक्ष्मीकांत गौड़ व अतिरिक्त निदेशक सुश्री अनुराधा शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित रहे। हरियाणा सशस्त्र पुलिस के महानिरीक्षक श्री हरदीप सिंह दून ने दोनों अवसरों पर कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि एवं प्रतिभागियों का अकादमी की ओर से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अकादमी के पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण मुरारी, उप पुलिस अधीक्षक श्री अमरजीत कटारिया, श्री विरेंद्र सिंह, उप जिला न्यायवादी श्री रामपाल व अजय कुमार भी उपस्थित थे।



Delhi Judicial Officers Batch : Police Training Glimpses



Guest Faculties During the DJS Officers' Training Programme (in order of lectures)



Prof. M. Afjalwani
Law Commission of India



Sh. Abhey Pratap Singh
Delhi



Dr. R.K. Kaushal
AD FSL MBN



Sh. O. P. Chhatwal,
DIG CBI Retd



Dr. Neelam Arya
SSO FSL Haryana



Dr. Suman Manjri IPS
IGP (Retd)



Dr. Rajesh Soni
AD FSL Madhuban



Sh. Sidharth Kaushik
DNA Expert FSL Madhuban



Ms Charu Bali IPS
IGP SVB, Haryana



Dr. C.P. Singh
CFSL Delhi



Sh. Neeraj Arora
Advocate Delhi



Dr. Arvind Hooda
SCB Madhuban



Sh. Yash Pal Jain
Document Expert



Sh. Manpeet Singh
ICICI Bank, CHD



Dr. Alok Mishra
Prof. Law, Delhi



Sh. Virender Singh
Kanoongo Karnal



Ms Anju Chaudhary
Asst. Prof. Law, CHD



Sh. B.S. Dogra Addl. SP
CBI (Retd)



Sh. Gurucharan Singh
CDTS, CHD



Sh. Rakesh Sanger
BBA Delhi



Sh. Sher Singh Sudt. Jail
Karnal



Dr. S.K. Dhattarwal
Prof. PGIMS, Rohtak



Dr. Asha Srivastava
CFSL Delhi



Sh. K. Koshi IPS
DGP (Retd)



Sh. Gulshan Rai
Dir FSL (Retd) Madhuban



Passing Out Parade Recruit Basic



P/DSP Ashok Kumar
Parade Commander



C1 Bal
2nd

Course Batch No. 84 (20.05.2018)



प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन व परिश्रम अधिक महत्वपूर्ण- श्री केके सिंधु

30 मई को अकादमी में इन्टर मीडिएट स्कूल कोर्स बैच नं. 68 व सीडीपी कोर्स बैच नं. 67 के आगमन पर प्रशिक्षणार्थियों की परिचय सभा का आयोजन किया गया जिसमें अकादमी के निदेशक श्री केके सिंधु भापुसे ने प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत करते हुए प्रशिक्षण उद्देश्यों से अवगत कराया व मार्गदर्शन किया।

श्री सिंधु ने अपने संबोधन में कहा कि सेवाकाल में प्रशिक्षण का उतना ही महत्व होता है जितना की किसी सेवा में प्रवेश करते समय प्राप्त किया जाने वाले प्रशिक्षण का। इसलिए प्रशिक्षण में हमेशा अनुशासन और परिश्रम के साथ कार्य किया जाना चाहिए। यह अवसर है कि हम अपने फील्ड में ड्यूटी के बोझ से परे नवीनतम जानकारी को प्राप्त करते हुए अपने कौशल को निखारे। इस प्रशिक्षण में हरियाणा की सभी पुलिस ईकाइयों से कर्मचारी आए हैं। आपस में भी हमें एक दूसरे के अनुभवों को साझा करना चाहिए। जो गुड प्रेक्टिसिज हैं उनका अनुकरण करें। जो बाधाएं हैं उनसे एक दूसरे को सबक लेना चाहिए। अकादमी में एक समृद्ध पुस्तकालय है जिसमें प्रत्येक विषय की पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसका भी प्रशिक्षण काल में लाभ लिया जाए। आवास और मेस क्षेत्र में आपसी सहयोग और सहभागिता से व्यवस्था का संचालन करें। आप सभी जानते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान कुछ मर्यादाएं निर्धारित होती हैं। अकादमी में भी प्रशिक्षणार्थियों के लिए कुछ करने व न करने की बातें निर्धारित की गई हैं



जिनका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी।

मानव दुर्व्यापार है एक संगठित अपराध - शशिकांत

11 मई को हरियाणा पुलिस अकादमी के डॉ. सर्वपली राधाकृष्णन सम्मेलन कक्ष में मानव दुर्व्यापार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों से आये निरीक्षकों ने भाग लिया। अकादमी के वरिष्ठ जिला न्यायवादी श्री शशिकांत शर्मा ने बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की। उन्होंने ट्रेफिकिंग बनाम वेश्यावृति और ट्रेफिकिंग एक संगठित अपराध विषय पर प्रतिभागियों को जानकारी दी।

श्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि 2013 से पहले ट्रेफिकिंग को परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह पूरी तरह से परिभाषित है। मानव तस्करी संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। शारीरिक शौषण, यौन उत्पीड़न और श्रम शौषण मानव तस्करी के मुख्य घटक माने गये हैं। मानव दुर्व्यापार के मकड़ जाल में फंसाने में अधिकतर परिचितों का ही हाथ होता है। आमतौर पर मानव दुर्व्यापार में व्यक्ति को नौकरी या किसी और वस्तु का लालच दिया जाता है उन्हें उनकी बेहतरी के सपने दिखाए जाते हैं। व्यक्ति को विश्वास में लेकर उसे मानसिक तौर पर तैयार करके उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। मानव दुर्व्यापार एक संगीन अपराध है इसलिए जाने-अनजाने में भी इसका भाग नहीं बनना चाहिए। दुर्व्यापार का शिकार बनाने वाले अलग-अलग स्तर पर संगठित रूप से इस कार्य को अंजाम देते हैं। इस प्रकार इस क्राईम में केवल एक व्यक्ति सक्रिय नहीं होता बल्कि अनेक लोगों का संगठन कार्य करता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य और एक देश से दूसरे देश में फैलता रहता है। जबरन मजदूरी करवाने, गुलाम बनाने, अंगों की तस्करी हेतु, बाल श्रम हेतु, वेश्यावृति करवाने, लड़कियों की अवैध शादी करवाने, मनोरंजन बच्चों की कैमल रेस, बच्चों के साथ यौनिक दुराचार आदि की पूर्ति के लिए मानव दुर्व्यापार किया जाता है। इसमें किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर, धोखे से या बल का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कार्यशाला के माध्यम से समाज व कानून लागू करने वाली ऐजेंसियों से इस अपराध की रोकथाम के लिए सक्रिय सहयोग और प्रचार प्रसार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर किसी की जागरूकता के कारण किसी एक बच्चे, महिला, पुरुष को मानव दुर्व्यापार का शिकार होने से बचा लिया जाता है तो यह जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि होगी।



कार्यशाला में ट्रेफिकिंग के शिकार व्यक्तियों के अधिकारों तथा उल्लंघन तथा अन्य अपराध विषयों पर उप निरीक्षक संतोष ने, मानव तस्करी से सम्बन्धित मामलों का अन्वेषण विषय पर अकादमी के उप पुलिस अधीक्षक श्री याद राम व उप निरीक्षक औमप्रकाश ने, मानव तस्करी से पीड़ितों का पुनर्वास, मानव तस्करी से सम्बन्धित नए कानून विषय पर अकादमी के उप जिला न्यायवादी श्री अजय कुमार व उप निरीक्षक जनार्थन ने जानकारी प्रदान की।

नागरिक अधिकारों का संरक्षण पुलिस की ड्यूटी- प्रोफेसर अंजू चौधरी

29 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के सहयोग से हरियाणा पुलिस अकादमी के हर्षवर्धन सभागार में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में हरियाणा की विभिन्न पुलिस ईकाईयों से आए 62 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारम्भ हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक श्री केके सिंधु के निर्देश पर अकादमी के जिला न्यायवादी श्री शशिकांत शर्मा ने किया। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में सहायक प्रोफेसर श्रीमती अंजू चौधरी ने मुख्य वक्ता के रूप में प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया।

श्रीमती चौधरी ने कार्यस्थल पर यौन हिंसा रोकथाम, घरेलू हिंसा से संरक्षण, लिंग पहचान निषेध कूनन के बारे में अपनी बात रखते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त रहना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और सरकार व पुलिस का मौलिक कर्तव्य कि वह अपने नागरिकों को शोषण से बचाए। विशाखा मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश तथा बाद में कार्य स्थल पर यौन हिंसा को रोकने के लिए 2013 में बने कानून के द्वारा महिलाओं को कार्य स्थल पर होने वाले शोषण से बचाने का प्रयास है। इस कानून के तहत प्रत्येक महिला जो घर से दूर किसी भी कार्य करने के स्थान पर चाहे वह स्वयं कार्य करने जाती है या किसी भी कारण से उस स्थान पर उसका जाना होता है, उसे इस कानून के तहत संरक्षण प्राप्त है।

जहां किसी संस्थान में कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हैं वहां पर आंतरिक शिकायत समिति तथा अन्य जगह के लिए स्थानीय शिकायत समिति का गठन पीड़ित महिला की शिकायत सुनने के लिए किया गया है। सामान्यत शिकायत घटना के 3 महीने के अंदर की जानी चाहिए। शिकायत प्राप्त होने पर आंतरिक या स्थानीय समिति द्वारा मामले पर 90 दिन के अंदर निर्णय करना होगा। उन्होंने कहा कि किसी महिला को गंदे चित्र दिखाना, यौनिक टिप्पणियां करना, कार्य स्थल पर उसके लिए ऐसा माहौल पैदा करना कि वह समर्पण कर दे, उससे किसी यौनिक व्यवहार की मांग करना यौनिक हिंसा की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर यौन हिंसा की शूठी शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। कार्यक्रम में भाग लेते हुए अधिकारी श्री रवि चौधरी ने कहा कि हम सभी कार्य स्थल पर आजीविका के लिए आते हैं।

रिश्तों को परिवार तक ही सीमित रखने, सभ्याचार, नैतिकता और अनुशासन का पालन करने वाले किसी भी पुरुष को कभी भी यौन हिंसा के आरोपों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

हरियाणा पुलिस के जिला न्यायवादी श्री शशिकांत शर्मा, ने कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिसकर्मियों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनकी दक्षता में विकास के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई है। अकादमी के उप जिला न्यायवादी श्री अजय कुमार ने पुलिस सुधारों के माध्यम से मानवाधिकारों का संरक्षण विषय पर तथा अकादमी के प्रशिक्षकों द्वारा मानवाधिकार संरक्षण कानून, मानवाधिकार आयोग के कार्यों व शक्तियों, गिरफतारी के लिए कानूनी प्रावधानों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा हिरासत में होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देशों, हिरासत में रखे जाने वाले व्यक्ति के अधिकारों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। प्रतिभागियों ने प्रश्नों के माध्यम से कार्यशाला में सक्रिय भागीदारी की।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस : दिनचर्या में शामिल करें

21 जून को अकादमी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस परेड मैदान में समस्त स्टाफ व प्रशिक्षणार्थियों ने बड़े ही उत्साह के साथ चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 में भागीदारी की। अकादमी के योग प्रशिक्षक श्री जगदीश चंद्र तथा

प्रशिक्षका सुश्री ममता ने 2873 प्रशिक्षणार्थियों को एक साथ योग दिवस प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास कराया। इस अवसर पर अकादमी निदेशक श्री केके सिंधु ने प्रशिक्षणार्थियों को शुभ कामनाएं देते हुए कहा कि पहला सुख निरोगी काया है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। योग के माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। योग से हमें जहां आत्म-बल की प्राप्ति होती है वहीं हमारे शरीर में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है जो जीवन को सरल बनाता है। भाग-दौड़ वाली जिन्दगी में योग शरीर व मन दोनों के लिए रामबाण है। इसलिए व्यक्तिगत और देश हित में योग को दिनचर्या का अहम् हिस्सा बना लेना चाहिए। इस अवसर पर निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह, मुख्य कवायद प्रशिक्षक निरीक्षक रणधीर सिंह, उप निरीक्षक ओमप्रकाश, सूरजमल, सहायक उप निरीक्षक सुलतान सिंह, राजेश व अकादमी स्टाफ ने भी भागीदारी की।

Courses Completed



Commando Basic Course Batch No. 25 (01.12.2017 to 26.04.2018)



SWAT Course Batch No. 06 (02.02.2018 to 28.05.2018)



U.A.C. Course Batch No. 11 (01.03.2018 to 05.06.2018)

Courses Completed



Light Vehicle Driving Course Batch No. 24 (16.01.2018 to 04.05.2018)



Heavy Vehicle Driving Course Batch No. 24 (16.01.2018 to 04.05.2018)



Cyber Crime Investigation (Level 1) Course for ORs & NGOs (09.04.2018 to 13.04.2018)

Sports Achievements-April to June-2018

XXI Commonwealth Games Gold Coast (Australia)

(4 to 15 April 2018)

Gold Medal

P/DSP Vikas Krishan - Boxing 75 Kg

Silver Medals

P/SI Seema Antil 4th Bn. HAP -Athletic (Discus)

P/SI Babita 5th Bn. HAP - Wrestling 53 Kg F/S

P/SI Mausam Khatri 5th Bn. HAP - Wrestling 97 KG



II All India Police Judo Cluster 2017 New Delhi

Organised by SSB (17 to 21 April 2018)

Silver Medals

Taekwondo- W/Ct. Rekha, 1162/KTL

Wu-Shu- ASI Ravinder, 5/784 HAP

Bronze Medals

Judo- W/Ct. Meena, 1413/JJR

Taekwondo- Ct. Sunil, 5/101, Ct. Jagparvеш, 5/783 HAP

Wu-Shu- HC Vikram, 2/61, IRB, W/HC Monika 1599/

PPT, W/HC Sudesh, 3553/GGM, W/Ct. Meena 1413/JJR

Gymnastic- Ct. Manbir, 5/189 HAP

Haryana State Taekwondo Championship-2018

Panipat (25 to 27 May 2018)

Gold Medal-Ct. Sunil, 5/101HAP

Silver Medal- Ct. Sumit, 5/687 HAP

Bronze Medals-Ct. Vinay, 5/236 HAP, Ct. Amit, 5/211 HAP, L/Ct. Ritu, 1181/BWN

Sh. K.K. Sindhu Director HPA congratulated,
SI Jitender, Bronze Medalist National Masters
Athletics Open Chaimpionship, Chandigarh 2018



Sh. K.K. Sindhu Director HPA congratulated
P/SI Mausam Khatri (Wrestler)

मनोविज्ञान विषय पर एक दिवसीय कोर्स आयोजित



10 अप्रैल को अकादमी के सम्मेलन कक्ष में 'Handle the Cases in Which Psychiatric Patient Involved' विषय पर एक दिन का प्रथम कोर्स आयोजित हुआ जिसमें विभिन्न पुलिस इकाइयों के 31 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। कोर्स में राजकीय महाविद्यालय घरौण्डा के प्राचार्य एवं क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट डा. सुरेन्द्र सिंह ने Understanding Clinical Psychology विषय पर, हरियाणा सशस्त्र पुलिस अस्पताल मधुबन के चिकित्सा अधिकारी डा. कार्तिक दुआ ने Mental Health Issues an Introduction, Sensitivity of Police Towards Mentally Challenged Persons विषय पर, अकादमी प्रशिक्षक ओमप्रकाश ने Rights and Protection of Mentally Challenged Person-Legal and Social Aspects, प्रशिक्षक रामनिवास ने Stress Management विषय पर प्रशिक्षणार्थियों का मार्गदर्शन किया। डा. सुरेन्द्र ने कहा कि व्यक्तित्व में गुण ही व्यवहार को निर्धारित करते हैं इसके ठीक से विकसित न होने के कारण ही व्यवहार में असामान्यता आती है। मानसिक रोगों का उपचार संभव है पुलिस को इन रोगियों से पेशेवर तरीके से व्यवहार करना चाहिए। डा. कार्तिक दुआ ने कहा कि मानसिक रोगी से संबंधित मामलों की जांच में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे रोगी के प्रति तेजी न दिखाएं, चिल्हाए नहीं और उससे झूठा वादा भी न करें।



DAV Police Public School Madhuban & Sunarian



Cultural Activities on Mahatma Hansraj's Birthday



Group Activities on Environment Day 2018



Vaisakhi Celebration 2018



Painting Competition on Earth Day 2018



DAVPPS Sunarian's Boys U-17 Kabaddi Team Won Gold Medal in 'Khelo Haryana - Khelo India' Games May 2018

पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति के यादगार क्षण



Inspector Rajwanti

Arrival & Joining the Academy



Sh. Sumer Pratap Singh IPS
SP (15.06.2018)



Sh. Krishan Murari IPS
SP (23.05.2018)



Inspector Radhy Shyam



Sh. Shashi Kant Sharma
DA (08.05.2018)



Subedar Yog Ram Limbu



Sh. Raj Kumar HPS
DSP (20.06.2018)



Sh. KushalPal Singh HPS
DSP (20.06.2018)



Chief Editor : K.K. Sindhu, Director HPA ; Editors : Sh. Krishan Murari SP/ HPA & SI Om Parkash (CPT)
Page-making: HC Sewa Dass & Ct.Ram Kishan; Photo : ASI Meenu Khan & Mr. Surender (Banti)